



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

#### 02 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 17.02.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपराधों में लिप्त दो अभियुक्तगण 1.विशनू पुत्र दौलीराम निवासी मिलकखानम थाना मिलकखानम जनपद रामपुर 2.हरमेन्द्र पुत्र सन्तरी निवासी लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शातिर अपराधी है। जिनके विरुद्ध लूट व चोरी/नकबजनी जैसे अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 100/21 धारा 2/3 उ0 प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है। अपराधियों की सम्पत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

#### अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. विशनू पुत्र दौलीराम निवासी मिलकखानम थाना मिलकखानम जनपद रामपुर
2. हरमेन्द्र पुत्र सन्तरी निवासी लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

#### आपराधिक इतिहास का विवरण

#### अभियुक्त विशनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 668/2020 धारा 392 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर ।
2. मु0अ0सं0 696/2020 धारा 379/411 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर ।

#### अभियुक्त हरमेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 668/2020 धारा 392 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर ।
2. मु0अ0सं0 696/2020 धारा 379/411 भा.द.वि थाना कोतवाली नगर सीतापुर ।